प्रकरण संख्या 272/2010 रामेश्वर बनाम हीरा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में दिनांक 20.12.2017 को वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो गयी है एवं वकील अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र की नकल देकर अपीलान्ट अधिवक्ता को कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। दिनांक 20.12.2017 के बाद दिनांक 17–01–2018 को पुनः वकील अपीलान्ट को कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 28.02.2018 को भी वकील अपीलान्ट को कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 21.03.2018 को जबकि जानकारी दिनांक 20.12.2017 से 90 दिवस की अवधि पूरी हो गयी, परन्तु अपीलान्ट द्वारा कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 21.03.2018 को दफा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर 30 दिवस का और समय चाहा। उक्त आवेदन के पश्चात् दिनांक 11.04.2018 को वकील अपीलान्ट द्वारा कायम मुकाम आवेदन बिना शपथ पत्र के पेश किया गया, जिस पर अधिवक्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किये जाने पर उनके द्वारा धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शपथ पत्र आगामी पेशी पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। आगामी पेशी दिनांक 19.04.2018 को भी शपथ पत्र पेश नहीं किया गया तथा उस दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जा चुका था। आगामी पेशी दिनांक 02.05.2018 को भी अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट नजर आता है कि वकील अपीलान्ट द्वारा जानकारी दिनांक 20.12.2017 से अन्दर मियाद आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विलम्ब से पेश शुदा आवेदन के साथ रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार कायम मुकाम आवेदन के साथ वांछनीय शपथ पत्र भी	

बावजूद पर्याप्त अवसर देने के प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएवं नियत अवधि में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं करने एवं नियत अवधि के बाद कायम मुकाम आवेदन विलम्ब कण्डोन किये जाने के लिए कायम मुकाम आवेदन के साथ वांछनीय शपथ पत्र बावजूद अवसर देने के प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएवं इन परिस्थितियों में विधिक रूप से कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में प्रभावी रूप से रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी का प्रतीप वाद/काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ही अकेला प्रभावी पक्षकार है, शेष समस्त प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट औपचारिक पक्षकार हैं।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मृत्यु के बाद उसके कायम मुकाम समय पर विधिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही अबेट होने के बाद अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध राईट टू सू सरवाईव नहीं करता तथा उनके विरूद्ध कोई प्रभावी राहत मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को छोड़कर नहीं दी जा सकती। तद्नुसार अपील समग्र रूप से अबेट होने के कारण खारिज की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। अपील फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर